



देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

विश्वविद्यालय भवन
इन्दौर - 452 001

क्र. डी.सी.डी.सी./सूचना/2024/776
प्रति

दिनांक

07 MAR 2024

प्राचार्य/ संचालक
विश्वविद्यालय से सम्बद्ध
समस्त अशासकीय महाविद्यालय
जिला- इन्दौर, धार, झाबुआ, खारगोन, खण्डवा, बुरहानपुर, बडवानी, अलीराजपुर।

विषय: प्रदेश में किराये के भवन में संचालित अशासकीय महाविद्यालयों के स्वयं के भवन में स्थान परिवर्तन करने संबंधी शर्त की पूर्ति करने तक सम्बद्धता जारी करने पर रोक लगाने बावत्।

सन्दर्भ: आयुक्त उच्च शिक्षा म.प्र. शासन भोपाल का पत्र क्रमांक 125/61/आउशि/सम्बद्धता/24 दिनांक 20/02/2024

महोदय/महोदया

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र में सूचित किया गया है, कि सत्र 2018-19 के पूर्व में अशासकीय महाविद्यालयों के संचालन संबंधी प्रचलित मार्गदर्शिका अनुसार अधिकतम तीन वर्ष तक ही किराये के भवन में अशासकीय महाविद्यालय संचालित किया जा सकता था। वर्तमान में प्रदेश में अशासकीय महाविद्यालयों के संचालन संबंधी दिनांक 10/01/2020 को जारी मार्गदर्शिका में उल्लेखित प्रावधानों के अन्तर्गत अधिकतम पांच वर्ष तक किराये के भवन में अशासकीय महाविद्यालय संचालित किया जा सकता है।

अतः ऐसे अशासकीय महाविद्यालय जिन्हें किराये के भवन में संचालन करने की अवधि पांच वर्ष पूर्ण हो चुकी है, वे स्वयं के भवन में स्थान परिवर्तन का स्वीकृति आदेश, आयुक्त उच्च शिक्षा से प्राप्त कर तत्काल प्रस्तुत करें, अन्यथा सत्र 2024-25 से उनकी सम्बद्धता पर रोक लगा दी जायेगी।

मवदीय

कुलसचिव

पृष्ठा क्र. डी. सी. डी. सी./ सूचना/2024/776
प्रतिलिपि:-

दिनांक.....

07 MAR 2024

1. कुलपति जी के सचिव देवी अहिल्या वि.वि. इन्दौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. कुलसचिव जी के निजी सहायक, देवी अहिल्या वि.वि. इन्दौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी म.प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग भोपाल के पत्र क्रमांक 125/61/आउशि/सम्बद्धता/24 दिनांक 20/02/2024 के संबंध में सूचनार्थ प्रेषित।
4. उप-कुलसचिव(प्रशासन/शैक्षणिक) देवी अहिल्या वि.वि. इन्दौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. हेड आई.टी. सेन्टर खण्डवा रोड़ इन्दौर से नीवेदन है कि विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

डी.सी.डी.सी.